समयबद्ध

संख्या–555 /चालीस–2017–18(2)/17

प्रेषक,

सत्येन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Pl circulate among teachers/Principals through internet
B/1/xi/2
4/8

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग　　　　　　　　लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषयः– वर्ष 2017–18 के लिये "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" दिये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1340/चालीस–2001–15(10)/99, दिनांक 03 अगस्त, 2001 द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो विभाग की वेबसाइट http://nationalintegdep.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताएं निम्न प्रकार निर्धारित की गयी हैः–

(क) भारत का मूल नागरिक हो।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो।

(ग) मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो।

(घ) गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत न किया गया हो।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हों, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस (5 जनवरी) पर "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत रूपये एक लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति–पत्र दिये जाने की व्यवस्था है।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मण्डल/जनपद से इस पुरस्कार के मापदण्डों को पूरा करने वाले पात्र महानुभावों के प्रस्ताव उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यो का तथ्यात्मक विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ संलग्न प्रारूप में स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित शासन को दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– मार्ग–दर्शी सिद्धान्त में निर्धारित प्रकियानुसार समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रचार–प्रसार करके निर्धारित प्रारूप में पुरस्कार हेतु पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र/नामांकन को संकलित कर निर्धारित तिथि तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– जिन महानुभावों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त आख्या में व्यापक जॉच कर तथ्यात्मक विवरण अभिलेखीय साक्ष्यों सहित यह भी प्रमाण–पत्र अंकित किया जाय कि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला प्रचलित/लम्बित नहीं है और किसी भी अपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित नहीं किया जाता है।

6– यह भी अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त कार्य के लिए जनपद के वरिष्ठ एवं कुशल अधिकारी को उत्तरदायित्व सौपा जाय एवं योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(सत्येन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– ऽऽऽ/चालीस–2017–18(2)/17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुसूचित जाति जनजाति/अल्प संख्यक कल्याण आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त पुरस्कार के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

(शीलधर सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

"गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार"

(राष्ट्रीय एकीकरण के निमित्त)

यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय,राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्र की रक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं विभिन्न धर्मों में एकता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा उन निर्धारित वर्षों में किये गये (जिनका उल्लेख संलग्न पत्र में हैं) उत्कृष्ट योगदान के लिये होगा।

(1) प्रस्तावक का नाम,पद तथा पता:----------

(2) प्रस्तावित व्यक्ति का नाम और पता:----------

(3) प्रस्तावित व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा विभिन्न वर्षों में राष्ट्रीय एकीकरण की अभिवृद्धि के लिये किये गये विशिष्ट प्रयास के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी:-

(क) जन्म तिथि:----------

(ख) शैक्षिक योग्यतायें:----------

(ग) वर्तमान व्यवसाय:----------

(घ) मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्र की रक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं विभिन्न धर्मों के एकता की स्थापना के लिये विगत दस वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण:-

---

(ङ0) कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्री सम्मान दिया गया हो तो उनका विवरण:-

---

---

(4) नामांकन को न्यायोचित ठहराने का औचित्य:----------

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)